जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह – उपायुक्त का कार्यालय, गुमला

(निर्वाचन शाखा)

--Interactive School Engagement Question Bank--

1. एक व्यक्ति कितनी बार मतदान कर सकता है ?

   उत्तर– 1 बार

2. मतदान के समय वोटिंग मशीन के कितने बटन दबा सकते है ?

   उत्तर– सिर्फ 1 बटन

3. क्या मतदान करने एक साथ दो मतदाता वोटिंग मशीन के पास जा सकतें है ?

   उत्तर– नहीं, सिर्फ एक मतदाता जा सकता है।

4. मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है ?

   उत्तर– मतदाता दिवस मतदाताओं को स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, मतदाता दिवस के दिन शपथ लिया है, एवं अपना मत अवश्य डालने के लिए प्रेरित किया जाता है।

5. एक मतदाता चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी को वोट दे सकता है ?

   उत्तर– नहीं, केवल एक प्रत्याशी को ही वोट दे सकतें हैं।

6. एक मतदाता एक से ज्यादा जगह वोट दे सकता है ?

   उत्तर– नहीं, सिर्फ एक जगह ।

7. एक चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी क्या अगली चुनाव में प्रत्याशी बन सकता है ?

   उत्तर– अगर प्रत्याशी 33 प्रतिशत कम वोट ला कर हारा है तो अगले चुनाव में वो प्रत्याशी नहीं बन सकता।

8- मतदाता सूची मे नया नाम जोडने के लिए क्या करेगें ?

   उत्तर– प्रपत्र.6 भर कर बूथ लेबल ऑफिसर को आवेदन देकर नाम दर्ज कराया जा सकता है।

9. मतदाता सूची में नाम गलत हो गया है तो क्या करेंगें ?

   उत्तर. – प्रपत्र.8 भर कर बूथ लेबल ऑफिसर को आवेदन देकर नाम को .सुधार किया जा सकता है।

10. मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए क्या करेंगें ?

उत्तर –प्रपत्र,7 भर कर बूथ लेबल ऑफिसर को आवेदन देकर नाम को हटाया जा सकता है।

11. मतदाता सूची में नाम जोडने का न्युन्तम आयु कितनी होनी चाहिए।

उत्तर –18 वर्ष

12. मतदाता सूची मे नये नाम दर्ज करने के लिये किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

उत्तर. –आवासीय प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र और फोटो

13. अगर मेरा फोटो मतदाता पहचान पत्र गुम हो जाये तो मै इसे पुनः कहां से प्राप्त कर सकता हूँ ?

उत्तर – फोटो मतदात पहचान पत्र गुम हो जाने पर संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में 25 रूपये जमा कर पुनः फोटो मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते है।

14. जिस व्यक्ति की ऑखे से कुछ नही दिखाई देता है वह अपना मत का प्रयोग कैसे करेगा ?

उत्तर – वैसे व्यक्तियों के लिये एक सहायक व्यक्ति साथ ले जाने की अनुमति निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है अथवा बैलेट युनिट में ब्रेल लिपि सभी बटन के सामने अंकित होती हे। जिसके माध्यम से दृष्टिहीन व्यक्ति अपने मत का प्रयो कर सकते है।

15/2/17

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह– उपायुक्त, गुमला।